

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: 16

दिनांक: 22-2-2024

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश//

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(1)में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सीमा करोल आर.जे.एस. (लिक अधिकारी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा न्यायिक अधिकारीगण की आपसी सहमति के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: 08 दिनांक 24/01/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मनोज कुमार अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महुआ जिला दौसा की दिनांक 24 फरवरी, 2024 की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त करते हुए इनके स्थान पर श्रीमति रेखा तिवाड़ी न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय दौसा जिला दौसा को दिनांक 24 फरवरी, 2024 की रिमाण्ड ड्यूटी के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट:-शेष पूर्व आदेश यथावत रहेगा।

सीमा करोल
सीमा करोल

(लिक अधिकारी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- 473

दिनांक:- 22-2-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
- 04- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 05- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 06- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 07- सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 08- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 09- जिला कारागृह दौसा
- ✓ 10- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की बेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 11- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

सीमा करोल
सीमा करोल
(लिक अधिकारी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

दौसा, जिला-दौसा (राज.)